(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा; और इसमें शामिल होता है-

(i) कोई भी स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या सारभूत रूप से वित्तकृत कोई निकाय;

(ii) सारभूत रूप से वित्तकृत गैर-सरकारी संगठन;

जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समुचित सरकार द्वारा निधियों द्वारा उपबंधित हो;

(झ) "**अभिलेख**" में शामिल होता है-

(क) कोई दस्तावेज, हस्तलेखन और फाइल;

(ख) कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिचे और दस्तावेज की फैक्सीमाइल प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में उत्कीरित छवि या छवियों का कोई उद्धरण (चाहे बढ़ाया गया हो या नहीं); और

(घ) कम्प्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य सामग्री;

(ञ) "**सूचना का अधिकार**" से इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने योग्य सूचना का अधिकार अभिप्रेत है जिसे किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन धारित किया जाता है और इसमें निम्न के लिए अधिकार शामिल होता है-

(i) संकर्म, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्क, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके में या प्रिण्टआउट के जरिये सूचना प्राप्त करना, जहाँ ऐसी सूचना कम्प्यूटर में या किसी अन्य उपकरण में संचित की जाती है;

(ट) "**राज्य सूचना आयोग**" से धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) "**राज्य मुख्य सूचना आयुक्त**" और "**राज्य सूचना आयुक्त**" से धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) "**राज्य लोक सूचना अधिकारी**" से धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्देशित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन नामनिर्देशित सहायक लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "**पक्षेतर**" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल होता है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ

3. सूचना का अधिकार-इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी नागरिकों के पास सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं-(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) ऐसे तरीके और प्ररूप में अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और सारणीबद्ध रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार सुगम करता है और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु युक्तियुक्त हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कम्प्यूटरीकृत हैं और पूरे देश में अलग-अलग प्रणालियों पर नेटवर्क के जरिये जुड़े हैं ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुगम की जा सके;

(ख) इस अधिनियम की अधिनियमिति से एक सौ बीस दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रकाशित करेगा, —
   (i) इसके संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों के विवरण;
   (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;
   (iii) विनिश्चय करने वाली प्रक्रिया में अनुसारित प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल शामिल हैं;
   (iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा स्थापित मानक;
   (v) इसके नियन्त्रण के अधीन या इसके द्वारा धारित या इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका और अभिलेख;
   (vi) उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण के अधीन धारित होते हैं;
   (vii) किसी व्यवस्था के विवरण, जो उसकी नीति के नियमन या उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों की सलाह के लिए या उनके द्वारा प्रतिवेदन के लिए विद्यमान होते हैं;
   (viii) मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिसमें इसके भाग के रूप में दो या अधिक व्यक्ति गठित करते हैं, या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए, और कि क्या उन मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए पहुँचने योग्य हैं;
   (ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी;
   (x) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों से उपबंधित अनुसार प्रतिकर की प्रणाली भी शामिल है;
   (xi) किये गये वितरणों पर सभी प्लानों, प्रस्तावित व्यय और रिपोर्टों के विवरण दर्शाते हुए इसकी एजेंसी में से प्रत्येक को आवंटित बजट;
   (xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशियां और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों का विवरण शामिल है;
   (xiii) इसके द्वारा स्वीकृत छूटों, परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण;
   (xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में की गयी, इसे उपलब्ध या इसके द्वारा धारित, सूचना के सम्बन्ध में विवरण;
   (xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें लाइब्रेरी या अध्ययन-कक्ष के कार्य-समय शामिल है, यदि जनता के उपयोग के लिए रखा गया हो;
   (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य वर्णन;
   (xvii) ऐसी अन्य सूचना, जिसे विहित किया जाए,

और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को आद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों को विनियमित या ऐसे विनिश्चय, जो जनता को प्रभावित करे, घोषित करते समय सभी सम्बन्धित तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्द्ध-न्यायिक विनिश्चयों के लिए कारण प्रदान करेगा।